संबंधित हितधारक

- अन्य विभागों जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर योजनाओं/कार्यक्रमों को लेकर बैठकों/चर्चा/परामर्श का आयोजन करना । विशेषकर समन्वय के लिए बैठकों का आयोजन करनां
- विभाग के स्तर पर जेंडर और जेंडर बजट का आकलन तथा अंतर, जरूरतों और क्षमता निर्माण की आवश्यकता का आकलन करना प्रशिक्षित अधिकारियों का रिकॉर्ड रखना और उन अधिकारियों का भी रिकॉर्ड रखना जो भविष्य में प्रशिक्षण ले सकते हैं
- योजनाओं को लागू करने वाले विभागों द्वारा नवाचारो का प्रचार प्रसार करना, जिसमें योजनाओं/कार्यक्रमों का जेंडर के दृष्टिकोण से विश्लेषण करने में बेहतरीन काम किया है और जिनसे नीतियों/कार्य निर्देशों में बदलाव लाया जा सका है
- वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन में विभाग से सम्बंधित योजनाओं और बजटिय प्रावधानों का महिलाओं पर परिणाम एवं मौजूदा नीतियों/कार्यक्रमों और संसाधनों के प्रभाव को जेंडर परिप्रेक्ष्य से अध्याय तैयार करना।

संचालनालय महिला एवं बाल विकास, म.प्र.

विजयाराजे वात्सल्य भवन, प्लॉट नं 28 A, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश 462011

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

UN WOMEN

जेंडर बजट सेल चार्टर

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

संचालनालय महिला एवं बाल विकास, म.प्र.

विजयाराजे वात्सल्य भवन, प्लॉट नं 28 A, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश 462011

जेंडर बजट सेल चार्टर

जेंडर रेस्पोंसिव बजटिंग (जीआरबी) जेंडर समानता को बढ़ावा देने का एक माध्यम हैं । नीति प्रक्रिया में जेंडर समानता तक पहुचने के लिए जेंडर बजट प्राथमिक चरण के रूप में उपयोग किया जाता है। जेंडर बजट नीति और उनके क्रियान्वयन के लिये संसाधनों के बीच के अंतर को स्पस्ट करने का एक तरीका है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जेंडर समानता के लिए सार्वजनिक धन का व्यय कैसे किया जाये।

इसी उद्देश्य से मुख्य सचिव , म.प्र. शासन द्वारा प्रत्येक विभाग में जेंडर बजट सेल (जीबीसी) गठित करने की दिशा में निर्देश दिए गए हैं। विभाग के स्तर पर जीबीसी का गठन , जेंडर को मुख्यधारा में लाने के लिए मुख्य कार्यविधि के तौर पर काम करेगा। वर्तमान में विभागों में गठित जीबीसी सक्रिय नहीं हैं और इनकी भूमिका एवं दायित्वों को न तो सुनिश्चित किया गया है और न ही उन्हें अनिवार्य बनाया गया है। शासकीय बजट में जेंडर विश्लेषण के उद्देश्य से विभागों में गठित जेंडर बजट सेल द्वारा विभागों को मार्गदर्शन एवं क्रियान्वन महत्वपूर्ण हैं इस हेतु यह चार्टर बनाया गया हैं ।

जेंडर बजट सेल की संरचना

जेंडर बजट सेल का गठन आयुक्त/संचालक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में होगा जिसमें योजना से सम्बंधित , वित्त शाखा एवं जेंडर विशेषज्ञ के वरिष्ठ एवं मध्यम वर्गीय आधिकारी सम्मलित होंगे सेल में अन्य शासकीय क्षेत्र के अधिकारी , एन जी ओ एवं मल्टी नेशनल लेवल के जेंडर विशेषज्ञो को सम्मलित किया जा सकता हैं ।

जीबीसी प्रति वर्ष विभाग के लिए एक जेंडर बजट वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगा जिसके अनुसार त्रेमासिक कार्य योजना क्रियान्वन की समीक्षा की जायेगी । विभाग चाहे और यदि जरूरत हो तो, वार्षिक कार्य योजना के तहत, विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने के लिए जीबीसी एक पृथक बजट का आवंटन भी कर सकता है। जीबीसी के कार्यों और संचालन की समीक्षा वर्ष में कम से कम दो बार विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव स्तर पर की जाएगी ।

जेंडर बजट सेल के दायित्व

विभाग के सभी कार्यक्रमों, योजनाओं, नीतियों और कानूनों का जेंडर के परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण करना, इस बात की जांच करना कि जेंडर समानता को संबोधित करने में योजनाए किस हद तक सफल हैं और इन्हें सही करने के लिए समुचित सुझाव देना।

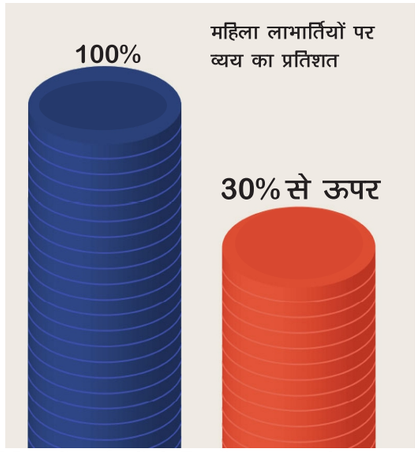

जीबीएस में कार्यक्रमों के लिए रैंक प्रदान करने का आधार

इसमें शामिल हैं

- जेंडर के आंकड़ों का प्रयोग कर जेंडर की मौजूदा स्थिति को चिन्हित करना और इसे अधिक निष्पक्ष बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना।
- कार्यक्रम के उद्देश्यों और गतिविधियों को निर्धारित करना जो वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग देगा।
- बजटीय आवंटन की उपयुक्तता, उपयोगिता और उपर्युक्त गतिविधियों अनुसार निर्धारित भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति का विश्लेषण करना।
- लिंगभेद के आंकड़ों के सन्दर्भ में भौतिक उपलब्धियों और उपलब्धियों का मूल्यांकन करना।
- कार्यक्रम को जेंडर सवेंदनशील बनाने के लिए अनुशंसाएं करना ।

विभाग में जेंडर बजटिंग को सुगम संचालन करना

- अगले तीन वर्षों के लिए जेंडर के लक्ष्यों को निर्धारित करना।
- उपलब्ध आंकड़ों का प्रयोग कर विभाग के लिए एक जेंडर प्रोफाइल का निर्माण करना।
- लाभार्थियों के विभिन्न समूहों के लिए जेंडर जागरूकता विश्लेषण का आयोजन करना।
- आवश्यकतानुसार शोध अध्ययनों की अनुशंसा/शुरुआत करना।
- मैदानी स्तर की उपलब्धियों की समीक्षा कर (जहाँ संभव हो) जेंडर मूल्यांकन एवं अंकेक्षण की शुरुआत एवं नियमित संचालन करना।